मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक 2067 / 35–एफ / पी.एच.ई. / 80 भोपाल दिनांक 29 मई 80

प्रति

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (पूर्वी / पश्चिमी परिक्षेत्र) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. समसत अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल म.प्र.
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड म.प्र.

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 1980 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 2035/ 35–एक / पी.एव.ई. / दिनांक 27.5.80 (हिन्दी / अंग्रेजी) की एक–एक प्रति उसके साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

आर.बी.एल. श्रीवास्तव
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग

वृ क्र. 206835 –एक / 80 / पी.एच.ई भोपाल दिनांक 29 मई 80

प्रतिलिपि :–

म.प्र. अधिसूचना क्रमांक 2035/ 35–एफ / पी.एच.ई. / 80 भोपाल दिनांक 27.05. 80 (अंग्रेजी / हिन्दी) की एक एक प्रति सचिव, नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा सेवन सामग्री म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि इसे म.प्र. राजपत्र में पकाशित करने की कृपा करे तथा उसकी 300 प्रिन्टेड प्रतिया इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

आर.बी.एल. श्रीवास्तव
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल दिनांक 02.05.80

क्रमांक 2035/ 35–पी.एच.ई. / एक – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित बनाते है,

अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ –

ये नियम मध्य प्रदेश लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवाशर्तें नियम, 1980 कहलायेंगे।

ये नियम 1 जनवरी 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2 परिभाषायें –

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, अनुसूची के कालम 5 में यथा विनिर्दिष्ठ प्राधिकारी ।

(ख) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी से अभिप्रेत है, ऐसे कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए जो कि वर्ष में कतिपय कालावधियों के लिए ही नियुक्त किये जाते हैं। किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्ण काल के लिए नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन कार्यालय आकस्मिकता पर प्रभारित किया जाता है।

(ग) कर्मचारी से अभिप्रेत है कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी।

(घ) शासन से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य का शासन

(घ.1) अनुसूचित जाति का सदस्य से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ठ किया गया हो, सदस्य।

(घ.2) अनुसूचित जनजाति का सदस्य से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति

जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् इन नियमों के संदर्भों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर।

5. वर्गीकरण, पद संख्या आदिः–

सेववा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची में अंतर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

6. प्रवर्गीकरण

1. कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इन नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दो प्रवर्गों में विभक्ति किये जावेंगे।
   एक – स्थायी , दो – अस्थायी
2. वह कर्मचारीः–
   क. जिसने 1 जनवरी 1974 की ऐसी सेवा पूरी कर लीथी जो पन्द्रह वर्ष से कम न हो।
   ख. जो उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किया गया हो, किन्तु जिसने 1 जनवरी 1974 को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।
   ग. जो उक्त तारीख के पश्चात नियुक्ति किया गया हो,

उपरोक्त (क) की स्थिति में 1 जनवरी 1974 और (ख) तथा (ग) की स्थिति में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी कार्यभारित या आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की प्रास्थिति के लिए पात्र होगा।

7. भरती तथा पदोन्नती :–

1. अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भरती, ज्येष्ठा तथा पदोन्नती को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिए एक इकाई गठित करेगी।
2. कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या ऐसे अधिक तरीकों से जो कि विहित किये जावे, की जाएगी, अर्थात् :–
   एक – सीधी भरती द्वारा
   दो – पदोन्नती द्वारा
   तीन – स्थानान्तर द्वारा

2क. प्रत्येक जिलों में एक समिति गठित की जावेगी। जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

क. संबंधित सर्किल के अधीक्षण यंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी जो कार्यपालन यंत्री स्तर से कम का न हो ——— सभापति ।
ख. यथास्थिति, जिला जनजाति कल्याण अधिकारी या जिला सेंग– संगठन जनजाति कल्याण ———— सदस्य ।
ग. संबंधित जिला का रोजगार अधिकरी ————— सदस्य।

2 ख. सेवा के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति उपनियम (2–क) के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार दी जाएगी।

2–ग इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किए आदेशों के